四条百一周

[देखिए नियम 9(3),(4) और (6)]

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला चूरू

कमाक-राजस्व/2017/578-582


विनाक-30.05.2017

संपरिवर्तन आदेश

आवेदक महाराज पब्लिक स्कूल शिक्षण संस्थान सांखणताल जरिए अध्यक्ष राजेश कुमार पुत्र बजरगलाल जाति बाट निकासी सांखणताल तहसील राजगढ जिला चूल के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृत में धारित कृषि भूमि का राजरचान भू-राजस्य (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मूनि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम,2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन किया जाता है,जिसकी विशिष्टियों नीचे दी गई है-

- आवेदक खातेदार अभियारी का नाम,पिता/पित का नाम सहित तथा पूरा पता— महाराज पब्लिक स्कूल शिक्षण संस्थान सोखणताल जिरिए अध्यक्ष राजेश कुमार पुत्र वजरंगनान जाति जाट निवामी सोखणताल तहसील राजगढ जिला धूक
- क्या आवेदक अनुसुचित जाति या अनुसुचित जनजाति का सदस्य है— नहीं।
- शंपरिवरीन भृमि का ब्यौरा-
 - (क) ग्राम— शांधणवान —द्वा. पंचायत सांधणवान तहसील का नाम—राजगढ
 - (ख) भूमि की खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का कृत क्षेत्रफल ग्राम रोडी मांच्यवाम के खसरा नम्बर 409 श्ववा 4.43 हैक्टबर
 - (ग) 'प्रत्येक खसरा' संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन क्षेत्रफल (शेक्टबर में या वर्गगीटर में)—
 - ग्राम रोही सांबलतान को खसरा नम्बर 409 रकवा 4.43 हैक्टबर में में 4050 पर्गमीटर टिप्पणी- अकृषित प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते हुए,राजस्य नक्शे के खुलंगत भाग की सम्बक रूप से प्रमाणित प्रति सलग्न है।
- 4. सपरिवर्तन का प्रयोजन- शैक्षणिक संस्थान
- संदेव संपरिवर्तन प्रभारो की दर-5 रूपवे प्रति वर्गमीटर
- बालाग की संख्या और तारीख जमा करायी गयी प्रीमीयम की रकम-बालान संख्या 0016987275 दिनाक 29.05.2017 राशि 20250 रूपये।
- कालान की संख्या और तारीख सहित शारित,यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रक्तम-





- 8. चालान की संख्या और तारीख सहित ब्याज,यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम्–
- क्या आदेश विनिमियतिकरण के लिए नियम 13 के अधीन किया गया है—नहीं

10 अन्य विशिष्टिया यदि कोई हो- भूमि खाली है।

19. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अध्ययीन होगा-

(क) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुङ्गा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(ख) यदि आवेदक इस आवेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करवायी गई प्रीमीयम धनराशि समपटत हो जावेगी।

(ग) नियम 4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग कृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया आयेगा।

(घ) लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जावेगा।

(ड) संपरिवर्तित भूमि में निर्माण सडक के मध्य से 50 मीटर छोडकर किया जावेगा।

विहित प्राधिकारी के हम्हाभूर उपखण्ड अधिकारी राजनक (3805.2017

कमाक-राजस्व / 2017 प्रतिलिपी-निम्न को सूचनार्थ एवं आयश्यक कार्यवाही हेतू-

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, घूल

2. तहसीलदार राजगढ

3. उप पंजीयंक राजगढ

4. ग्राम पंचायत सांखणताल

१५ आवेदक महाराज पश्चिक स्कूल शिक्षण संस्थान सांखणताल जरिए अध्यक्ष राजेश कुमार पुत्र बजरंगसाल जाति जाट निवासी सांखणताल तहसील राजगढ जिला चूरु

विहित प्राधिकृतिको (हुस्तीका

47 3 H THEN CEN HERE!